उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या– 104/XXVII(7)7/2017
देहरादून : दिनांक 26 मई, 2017

अधिसूचना संख्या– 73/XXVII(7)7/2017 दिनांक 26 मई, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2017 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करते हुए प्रकाशित अधिसूचना की 300 प्रतियॉ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड एकक, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7

संख्या– 73/XXVII(7)7/2017

देहरादून : दिनांक 26 मई, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2017 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
(3) इस नियमावली में जहां–जहां शब्द "उत्तरांचल" उल्लिखित है उसके स्थान पर शब्द "उत्तराखण्ड" पढ़ा जाय।

मूल नियमावली, 2006 के नियम–2 (1) का संशोधन।

2. उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–2(1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रस्तावित नियम
(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:– (क) ऐसे समूह "घ" के कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिनका लेखा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है, "लेखा अधिकारी" से सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में अधिकारी अभिप्रेत है जिसको भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा का अनुरक्षण करने का कार्य सौंपा गया हो;	(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:– लेखा अधिकारी का तात्पर्य, समूह 'घ' के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखे का अनुरक्षण करने वाला अधिकारी;

नियम–2 (ग) (तीन) का संशोधन।	3. मूल नियमावली के नियम–2 के खण्ड (ग) के प्रस्तर–(तीन) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्
(तीन) अभिदाता पर पूर्णतः आश्रित अविवाहित भाई और बहन।	(तीन) अभिदाता पर पूर्णतः आश्रित माता–पिता, अविवाहित भाई और बहन।
नियम–13(2)(तीन) का संशोधन।	4. मूल नियमावली के नियम–13(2)(तीन) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्
(तीन) अभिदाता की परिस्थिति के अनुकूल पैमाने पर आबद्ध कर व्यय की पूर्ति पर जिसे अभिदाता द्वारा रूढ़िगत प्रभाव के अनुसार अभिदाता के नियम के सम्बन्ध में भी उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह, अन्त्येष्टि या अन्य गृह कर्म के सम्बन्ध में उपगत करना हो।	(तीन) अभिदाता के परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह, अन्त्येष्टि, जनेऊ संस्कार या अन्य धार्मिक एवं गृह कर्म के व्यय हेतु।
नियम–13(4)(एक) का संशोधन।	5. मूल नियमावली के नियम–13(4)(एक) के स्थान पर स्तम्भ–2 मे दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्
अभिदाता के तीन मास के वेतन या निधि में उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा या	अभिदाता के छः मास के वेतन या निधि में उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।
नियम–16 (1) (अ) का संशोधन।	6. मूल नियमावली के नियम–16 (1) (अ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्
अभिदाता द्वारा बारह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हो गयी हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियों यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षता पर उसकी सेवा–निवृत्ति के दिनांक से पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात्:	अभिदाता द्वारा दस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हो गयी हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियों यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षता पर उसकी सेवा–निवृत्ति के दिनांक से पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि में से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात: